(वाद सं0–1286/4/36/2019)

27.07.2021

परिवादी, साधुशरण सिन्हा, सेवानिवृत पंचायत सेवक, रून्नी सैदपुर, उपस्थित है।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी के 31 जुलाई 1991 को सेवानिवृति के उपरांत अब तक सेवांत लाभ का संबंधित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, रून्नी सैदपुर शाखा, सीतामढ़ी द्वारा भुगतान न किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, रून्नी सैदपुर शाखा, सीतामढ़ी द्वारा सूचित किया गया कि प्रसंगाधीन मामला परिवादी के पेंशन पुनरीक्षण से संबंधित है। उनका कथन है कि परिवादी के महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा पेंशन के पुनरीक्षण से संबंधित आदेश, संबंधित कोषागार के माध्यम से, बैंक को प्राप्त होने पर पेंशन का तद्नुसार पुनरीक्षण कर दिया जायेगा।

उक्त के आलोक में राज्य आयोग द्वारा प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0) के कार्यालय, बिहार, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी।

महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ''महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा वित विभाग के संकल्प सं0–755 दिनांक–20.10.17 के आलोक में पेंशन का पुनरीक्षण इस कार्यालय के पत्रांक– PenRv7091220159731/220275PI दिनांक–15.12.20 द्वारा प्राधिकृत कर दिया गया है। जिसकी एक प्रति श्री सिन्हा को भी स्पीड पोस्ट न0–EF471751848IN दिनांक–17.12.20 द्वारा प्रेषित किया गया है।''

आज परिवादी का कथन है कि महालेखाकार, बिहार, पटना के द्वारा तत्सम्बन्धी प्राधिकृत पत्र निर्गत होने के बाद भी संबंधित बैंक द्वारा उसके पेंशन का पुनरीक्षण नहीं किया जा रहा है तथा बराबर टालमटोल किया जा रहा है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि परिवादी एक 80 वर्षीय वृद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारी है। महालेखाकर, बिहार, पटना के पत्र (पृ0–24/प0 तथा 26/प0) की प्रति संलग्न कर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, रून्नी सैदपुर शाखा, सीतामढ़ी के शाखा प्रबंधक से इस संबंध में दिनांक–02.12.2021 के पूर्व तक प्रतिवेदन की मांग की जाय कि किन परिस्थितियों में महालेखाकार, बिहार, पटना के द्वारा पेंशन पुनरीक्षण से संबंधित प्राधिकृत पत्र निर्गत किये जाने के बावजूद एक वृद्ध सेवानिवृत्त कर्मी के पेंशन को अब तक पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है।

परिवादी, अति वृद्ध है। अतः अगली निश्चित तिथि को उन्हें राज्य आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

संचिका दिनांक–06.12.2021 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक